

## अधिसूचना

योग्यता

आवश्यक योग्यता:

ए. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में माने जाने वाले संस्थान से निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि:

उपाधि	विषय में स्नातकोत्तर
पीजीटी (अंग्रेजी)	अंग्रेजी
पीजीटी (हिंदी)	हिंदी
पीजीटी (भौतिकी)	भौतिकी
पीजीटी (रसायन विज्ञान)	रसायन विज्ञान
पीजीटी (गणित)	गणित
पीजीटी (जीव विज्ञान)	वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/जीव विज्ञान
पीजीटी (इतिहास)	इतिहास
पीजीटी (भूगोल)	भूगोल
पीजीटी (वाणिज्य)	वाणिज्य जिसमें अध्ययन का प्रमुख विषय लेखांकन/लागत लेखांकन/वित्तीय लेखांकन हो। एप्लाइड/बिजनेस इकोनॉमिक्स में एम.कॉम. की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे।
पीजीटी (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
पीजीटी (क्षेत्रीय भाषा)	क्षेत्रीय भाषा।

B. बी. बी.एड. डिग्री। (एकीकृत 4 वर्षीय डिग्री कोर्स के मामले में, बी.एड. की आवश्यकता नहीं है)

पीजीटी (कंप्यूटर साइंस)	40 वर्ष से अधिक नहीं। भारत सरकार के नियमों के तहत लागू एससी/एसटी/ओबीसी और अन्य श्रेणियों के लिए आयु में छूट। ईएमआरएस कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक	आवश्यक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.एस.सी. (कंप्यूटर साइंस/आईटी) एमसीए। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.ई. या एम.टेक. (कंप्यूटर साइंस / आईटी)।
-------------------------	--	---

महत्वपूर्ण नोट: ऊपर बताए गए विषय (विषयों) में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ही पात्र माने जाएंगे।

आयु: 40 वर्ष से अधिक नहीं।

आयु में छूट:

विभिन्न आवेदकों को आयु में छूट निम्नानुसार दी जाएगी।

क्रम संख्या	व्यक्तियों की श्रेणी	आयु सीमा में छूट / रियायत
(a)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
(b)	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	3 वर्ष
(c)	केंद्र सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले उम्मीदवार, बशर्ते पद समान या संबद्ध संवर्ग में हों।	5 वर्ष
(d)	01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्ति	5 वर्ष
(e)	महिलाएँ (सभी श्रेणी) केवल तभी जब वे पीजीटी पदों के लिए आवेदन कर रही हों 10 वर्ष	
(f)	विकलांग व्यक्ति (महिलाओं सहित) (i) एससी/एसटी (ii) ओबीसी (iii) सामान्य विकलांग महिला के लिए, खंड (ई) लागू नहीं है	15 वर्ष 13 वर्ष 10 वर्ष
(g)	ईएमआरएस में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य के लिए	55 वर्ष
(h)	ईएमआरएस कर्मचारी - जिन्हें ईएमआरएस के लिए नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया है	55 वर्ष
(i)	भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की है, उन्हें ऐसी सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से 20 प्रतिशत घटाने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामी आयु पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं है, वह आयु सीमा संबंधी शर्त को पूरा करने वाला माना जाएगा।	